धीरेन्द्र बहादुर सिंह, प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गोपालगंज
भरण–पोषण वाद सं0–237/2024
निलम देवी एवं अन्य बनाम राजकुमार गुप्ता
आदेश की तिथि – 25.05.2026

न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज

भरण–पोषण वाद सं0–237/2024

निलम देवी एवं अन्य .... आवेदिकागण

बनाम

राजकुमार गुप्ता .... विपक्षी

आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री मनिन्द्र कुमार
विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री रूपेश कुमार

उपस्थित : श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह,
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
गोपालगंज
आदेश की तिथि : 25.05.2026

आदेश

पश्चात्
25.05.2026

1. विपक्षी के रिकॉल आवेदन पर उभयपक्षों को सुना।

2. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि विपक्षी कतर देश में कार्यरत था और दिनांक 29.04.2026 को अपने घर आया, जिससे वह समय पर न्यायालय में उपस्थित नही हो सका। यद्यपि विपक्षी यह स्वीकार करता है कि उसे मुकदमे की सूचना उनके छोटे भाई की पत्नी रेशमा देवी से प्राप्त हुई थी। अतः निवेदन करते हैं कि एकपक्षीय आदेश दिनांक 21.07.2025 को रिकॉल कर विपक्षी का कारण–पृच्छा स्वीकार किया जाए और वाद में संघर्ष की अनुमति दी जाए।

3. आवेदिका विपक्षी के निवेदन का विरोध करती है। उनका निवेदन है कि उसने रजिस्टर्ड डाक तथा विशेष दूत से विपक्षी को नोटिश भेजवाया था तथा विपक्षी को मुकदमे की पुरी–पुरी जानकारी है तथा नोटिश भी उन्हें प्राप्त हुई थी।

4. उभयपक्षों को सुनन व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख पर समुचित तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध है। परंतु न्यायहित मे विपक्षी को संघर्ष का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः एकपक्षीय आदेश दिनांक 21.07.2025 को **मो0 दस हजार रूपए खर्च पर** रिकॉल किया जाता है। खर्च के भुगतान के पश्चात् ही यह आदेश प्रभावी होगा तथा विपक्षी का कारण–पृच्छा स्वीकार कर उन्हें मुकदमे मे संघर्ष की अनुमति दी जाएगी।

वाद दिनांक 05.06.2026 वास्ते मध्यस्थता।

लेखापित,

प्रधान न्यायाधीश

Date of order	
Date of reserving order	
Uploading date	
Uploaded by	